

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	--

12⁶/₁₈ पत्रावली नं. 123 वकिल कार्या
इपरिचयत इशारेत का नोटिस व जवाब
अलग पत्रावली नं. 124 जवाब की परि
वकिल नं. 125 द्वारा जारी कि पत्रावली
नं. 126 जवाब नं. 127 दिनांक 15-6-18
को पेश है। 16

15⁶/₁₈ पत्रावली नं. 128 पाठालान अधिकारी
द्वारा जारी किया गया है
वतः पत्रावली नं. 129 आदेशानुसार दिनांक
20-6-18 को पेश है।

आदेश है

जज

20⁶/₁₈ पत्रावली नं. 130 जज कार्यालय द्वारा जारी
अहकाम पर पत्रावली नं. 131 वकिल
नं. 132 इपरिचयत खहम मुनि ।
पत्रावली नं. 133 द्वारा दिनांक 20-6-18
परिचयत अलग पत्रावली नं. 134
पत्रावली नं. 135 जारी "शवत" से "मीठ"।
पत्रावली नं. 136 द्वारा जारी किया गया

तापगढ़(राज.)

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
जा

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकाधिकारी, छोटतापगढ़



राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी
(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार छोटीसादडी की अनुशंसा आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील छोटीसादडीव जिला प्रतापगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में ख संख्या 143, 147, 137 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	सेटलमेण्ट से पूर्व प्रविष्टी (शुद्ध प्रविष्टी)	सेटलमेण्ट के बाद की प्रविष्टी (अशुद्ध प्रविष्टी)	शुद्ध प्रविष्टी ज सेटलमेण्ट में की जानी है।
1	जयपुरा	143, 147, 137	- - -	जाति - "शक्क" सं. 86	जाति - सं. संख्या सं. सं. 1

वरिष्ठ अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

(दिनेश कुमार मण्डोवरा
उपखण्ड अधिकारी, छोटीसा

लोक अदालत कैम्प
दिनांक:- 20.6.18

क्रमांक:- 11/18
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, छोटीसादडीको भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉड दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। को सूचनार्थ।